61

# न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 5172–दो/2015 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 11–5–2015– पारित व्दारा अपर कलेक्टर, जिला उमरिया – प्रकरण क्रमांक 72/2013–14 स्वमेव निगरानी

पोहूराम पुत्र जुमड़ोमल ठारवानी
माधवनगर कटनी, जिला कटनी ---आवेदक

विरूद्ध

1– म0प्र0शासन
2– मेवालाल पिता रोचामल सिंधी
ग्राम लोढ़ा तहसील चंदिया जिला उमरिया
3– अरूणकुमार पिता पुरूषोत्तमदास शाहा
जयस्तम्ब चौक उमरिया जिला उमरिया
4– चुट्दाना पिता टीडू कलार
5– संतलाल पिता टीडू कलार
6– मु0 मेमवाई पिता टीडू कलार
7– शॉति पिता टीडू कलार
8– रामरूद्व पिता टीडू कलार
निवासीगण लोढ़ा तहसील चंदिया जिला उमरिया
9– श्रीराम पिता श्यामलाल सोनी
10– संतोष राय पिता स्व.सुदर्शन राय सरपंच ग्राम पंचायत लोड़ा जनपद पंचायत करकेली उमरिया
11– भागचंद पिता धनपत राय निवासी लोढ़ा
तहसील चंदिया जिला उमरिया म0प्र0 ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री बी.एस.धाकड़)
(अनावेदक 10,11 के अभिभाषक श्री राकेश मिश्रा)
(म0प्र0शासन के पैनल लायऱ)
(शेष अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

# आ दे श

## (आज दिनांक 10-7-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला उमरिया के प्रकरण कमांक 72/2013-14 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11-5-15 के विरूद्ध म0प्र0 भू रा0 संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक कमांक 10 एंव 11 ने अपर कलेक्टर उमरिया के यहॉ स्वमेव निगरानी प्रस्तुत कर मांग की कि ग्राम लोढ़ा तहसील चंदिया की भूमि सर्वे कमांक 85 रकबा 75-01 एकड़ तथा सर्वे नंबर 1153 एंव 1167 में बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के कतिपय व्यक्तियों के नाम दर्ज कर दिये गये हैं इसलिये प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर जांच की जावे एंव अवैध प्रविष्टियॉ निरस्त की जावें। अपर कलेक्टर उमरिया ने अनावेदक कमांक 10 एंव 11 के आवेदन पर स्वमेव निगरानी कमांक 72/2013-14 पॅजीबद्ध की तथा भूमि के विवरण के सम्बन्ध में अधीक्षक भू अभिलेख से जांच प्रतिवेदन चाहा गया। अधीक्षक भू अभिलेख जिला उमरिया ने प्रतिवेदन दिनांक 6-2-2014 प्रस्तुत किया, जिस पर से अनावेदकगण को बचाव प्रस्तुत करने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया। अपर कलेक्टर ने हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई कर आदेश दिनांक 11-5-15 पारित किया तथा भूमि सर्वे कमांक 85/1 रकबा 2-023 पर आवेदक के नाम की प्रविष्टि संदिग्ध पाने से खसरे से आवेदक का नाम हटाने एंव भूमि पूर्ववत् शासकीय दर्ज करने का आदेश दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक, म0प्र0 शासन के पैनल लायर तथा अनावेदक कमांक 10, 11 के अभिभाषकों को सुना गया तथा आवेदक एंव अनावेदक कमांक 10, 11 की ओर से प्रस्तुत लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। दिनांक 18-12-17 को आवेदक के अभिभाषक ने आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. का आवेदन देकर अनावेदक कमांक 5 को अनावेदकों में से कम करके आवेदक कमांक -2 बनाये जाने का आवेदन दिया है, जो निगरानी प्रस्तुती दि. 19-11-15

के अत्याधिक विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण विचार योग्य नहीं है।

4/ आवेदक एंव अनावेदक कमांक 10, 11 की ओर से प्रस्तुत लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर कलेक्टर उमरिया ने अधीक्षक भू अभिलेख जिला उमरिया के प्रतिवेदन दिनांक 6-2-2014 में वर्णित अनुसार आवेदक के नाम की भूमि सर्वे कमांक 85/1 रकबा 2-023 पर प्रविष्टि संदिग्ध पाने से बचाव प्रस्तुत करने हेतु सूचना पत्र जारी किया है एंव आवेदक ने स्वयं के बचाव में लिखित उत्तर एंव अभिलेख भी प्रस्तुत किया है जिसकी विवेचना अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 11-5-15 के पद 4 में इस प्रकार की है :-

- खसरा पांचशाला वर्ष 1976–77 से 1988–89 तक ग्राम लोड़ा की आ0ख0नं0 85/1 रकबा 2–023 मेवालाल/रोचामल के नाम पर भूमिस्वामी हक में दर्ज है। वर्ष 1991–92 में यह भूमि पोहूराम पिता जुमडोमल सिंधी के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। अनावेदक पोहूराम ने अपने जवाव व तर्क में कहा है कि उसके पूर्वज मेवालाल/रोचामल सिंधी को वर्ष 1960 में यह भूमि पटटे में प्राप्त हुई थी। अनावेदक के व्दारा इससे संबंधित अभिलेख भी प्रस्तुत किये हैं। अभिलेख के परीक्षण से यह स्पष्ट है कि नायव तहसीलदार बांधवगढ़ व्दारा जरिये प्रकरण कामंक **11x19x569**/60–61 के व्दारा म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 162 के तहत भूमि का खसरा नंबर 5–00 एकड़ का व्यवस्थापन स्वीकार कर पटटा प्रदाय किया गया है तथा प्रकरण कमांक **11x19x1004/60-61** के व्दारा खसरा नंबर 1153 रकबा 2–57 एकड़ एंव 1167 रकबा 1–14 एकड़ का व्यवस्थापन कर पटटा प्रदाय किया हैं नायव तहसीलदार बांधवगढ ने यह आदेश म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 162 के अनुसार किया है। उक्त धारा वर्ष 1964 के पूर्व प्रभावशील थी तथा उक्त धारा के अनुसार भूमि का वितरण करने की अधिकारिता कलेक्टर को प्राप्त थी नायव तहसीलदार को धारा 162 के तहत कार्यवाही करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं थी, अतः नायव तहसीलदार बांधवगढ़ के व्दारा पारित किया गया उक्त दोनों आदेश अधिकारिता विहीन होने से शून्य हैं।

यदि अपर कलेक्टर उमरिया के उक्तानुसार निष्कर्ष पर ध्यान दिया जाय - अपर कलेक्टर का निष्कर्ष स्वमेव स्पष्ट है कि जब तत्समय प्रचलित संहिता की धारा

162 के अंतर्गत पट्टा देने की शक्तियॉ कलेक्टर में वेष्ठित रही है नायव तहसीलदार व्दारा पट्टा दिया जाना बताया जाना निरर्थक है क्योंकि नायव तहसीलदार को धारा 162 के तहत कार्यवाही करने की अधिकारिता प्राप्त न होने से नायव तहसीलदार बांधवगढ़ के व्दारा जारी पट्टा आदेश अधिकारिता विहीन होने से शून्य परिधि में हैं। ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर, जिला उमरिया व्दारा आदेश दिनांक 11-5-15 में निकाले गये निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी सारहीन है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर कलेक्टर, जिला उमरिया व्दारा प्रकरण कमांक 72/2013-14 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11-5-15 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर